विमुक्त घुमंतू नारियों की दशा और दिशा

प्रा. डॉ. संदिप तानाजी कदम
हिंदी विभागाध्यक्ष,
श्री आर.आर.पाटिल महाविद्यालय,
सावलज

सारांश –

भारत की जनगणना में आज तक घुमंतू जमातियों की जनसंख्या का कोई हल नहीं मिला है| लेकीन इ.स.1999 में इदाते अयोग का अहवाल और इ.स.२००८ में टेक्नीकल अडवायझरी अहवाल, इ.स.२०१६ में रेणके आयोग के अहवाल नुसार घुमंतू जमाती की जनसंख्या का प्रमाण मिला है | भारत में घुमंतू जनजाति की जनसंख्या ३० करोड के आसपास है, इसमें नारियों की जनसंख्या १५ करोड है | इसमें से महाराष्ट्र में घुमंतू नारियों की जनसंख्या १ करोड के आसपास है | घुमंतू नारियों का जीवन प्रतिकूल, संघर्षपूर्ण एवं हानिकारक है| घुमंतू समाज में जात पंचायत व्यवस्था, लैंगिक शोषण, पितृसत्ताक कुटुंब व्यवस्था, सभ्यता और आर्थिक पिछडापन, रीतिरिवाज, परम्पराएँ, अंधश्रध्दा इसके कारण घुमंतू नारियों को मुलभूत अधिकार से वंचित रहना पड़ा है | जागतिकीकरण, नागरीकरण, औद्योगीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण के प्रभाव से घुमंतू नारियों के जीवन की समस्याएँ बढती जा रही है | जिसमें बेरोजगारी, भूखमरी, लैंगिक शोषण, भोजन, निवास, शिक्षा आदि समस्याओं का उल्लेख मिलता हैं |

बीज शब्द – घुमंतू का अर्थ, बहिष्कार, आंदोलन, पोटजातियां, गुन्हेगारी, पुराणकथा

२० सदी के उतरार्ध में मानव जीवन के इतिहास में नारीवादी इतिहास लेखन विचार प्रणाली का अभ्युदय हुआ | नारी के स्वयं जीवन रेखा प्रकट करने वाले एवं स्वयं का शोध लेनेवाले साहित्य को नारीवादी साहित्य एवं इतिहास कहते हैं | नारी मानव समाज निर्मिती करनेवाली शक्ती है | मानव जीवन में नारी एक मानव है और उसकी मातृभाषा, प्रतीके, प्रतिमा, नर प्रधान सभ्यता से अलग है | इसलिए नारीवादी ऐतिहासिक लेखन प्रणाली अलग है | पाश्चात्य राष्ट्र में नारीवादी विचारधारा का अभ्युदय इ.स. १९६० के दशक में हुआ | लेकिन भारत में इ.स. १९७५ के बाद प्रसार हुआ | इससे पहले नारीवादी विचारधारा की नीव अस्तित्व में थी लेकीन व्यक्तिगत स्थान पर | नारी को अपने स्वयं के जीवन को संघटित करने का स्वरुप २० सदी के उतरार्ध दिया गया |

भारत में नारीवादी आंदोलन का अभ्युदय १९ सदी में हुआ | इसमें राजाराम मोहन राय, म. फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि धोडों केशव कर्वे, आगरकर, रमाबाई रानडे, ताराबाई शिंदे, इरावती कर्वे आदि समाज सुधारकों ने नारी जीवन के आंदोलन का प्रयास किया | इसमें सतीप्रथा, बालविवाह, केशवपन, जरठकुमारी विवाह, शिक्षा, नारी भ्रूणहत्या आदि के बारे में बहिष्कार एवं आंदोलन किए | इस प्रबोधन के माध्यम से भारतीय नारी जीवन में बदलाव के संकेत मिले | ईस्ट इंडिया कंपनी ने (ब्रिटिश सरकार) नारी जीवन में सुधार के लिए कायदे पास किये | इसमें सतीप्रथा बंदी (इ.स.१८२९), विधवा पुनर्विवाह कायदा (इ.स.१८५६), नारी कामगार कायदा (इ.स.१८९१), नारी शिक्षा (इ.स.१८८७), शारदा एक्ट (इ.स.१८२९) आदि कायदों के आधार पर भारतीय नारी जीवन में बदलाव का प्रारंभ सुरु हुआ |

आजादी के बाद डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने नारी जीवन में परिवर्तन के लिए इ.स.१९४९ में हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव ससंद में रखा था | लेकिन राज्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया, फिर भी आजादी के बाद ८० सालों में भारतीय नारी जीवन में क्रांतिकारी बदल हुए | ब्रिटिश सरकार ने इ.स. १८७१ में गुन्हेगारी कायदा (Criminal Tribes Act) पारित किया था | उस गुन्हेगार जमातियों को भारत की आजादी के बाद इ.स. ३१ अगस्त १९५२ में ५ साल ५ दिन के बाद आजादी मिली और उसका

नामकरण घुमंतू जमाती किया गया | आज वर्तमान काल में घुमंतू जनजाति की ४०० से ५०० जमातियां है इसका प्रमाण इ.स.२००८ इदाते आयोग के अहवाल नुसार मिलता है | इस घुमंतू जनजाति की जनसंख्या भारत में ३० करोड है यह जानकारी रेणके आयोग (इ.स.२०१६) के अहवाल नुसार मिली है | इसमें नारियों की आबादी १५ करोड है, यह जनजातियां संचार करती है | इसलिए उनको घुमंतू कहा जाता है | आजादी के बाद भी भारत में घुमंतू नारी जीवन संघर्षपूर्ण रहा है | भोजन, रोजगार, निवास, शिक्षा, उदरनिर्वाह के साधन की समस्या आज भी है |

भारत में घुमंतू समुदाय की जमातियां का इदाते और रेणके आयोग के उपलब्ध अहवाल नुसार ५०० से ६०० तक जमातियों का सर्वेक्षण किया है | इसमें घुमंतू जमातियों की जनसंख्या ३० करोड बताई गई है | इस जनसंख्या में १५ करोड जनसंख्या घुमंतू नारियों की है | घुमंतू नारियों का जीवन प्रतिकूल, संघर्षपूर्ण एंव हानिकारक है | घुमंतू समाज में जात पंचायत व्यवस्था, लैंगिक शोषण, पितृसत्ताक कुटुंब व्यवस्था, सभ्यता और आर्थिक पिछडापन, रीतिरिवाज, परम्पराएँ, अंधश्रध्दा इसके कारण घुमंतू नारियों को मुलभूत अधिकार से वंचित रहना पड़ता है तथा संघर्षमय जीवन जीना पड़ता है |

जागतिकीकरण, नागरीकरण, औद्योगीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण के प्रभाव से घुमंतू नारियों के जीवन की समस्याएँ बढती जा रही है, जैसे की बेरोजगारी, भूखमरी, लैंगिक शोषण, भोजन, निवास, शिक्षा आदि | भारत में घुमंतू जमाती की वडार, कैकाडी, कोल्हाटी, गोसावी, जोशी, पाथरवट, गाडेलोहार, ताबटकर, गिसाडी, डोंबारी, गोंधळी, रायरंद, नाथपंथी, शिकलगार, बंजारा, धनगर, दरवेशी, काजंरभट, नदीवाले आदि ४०० से ६०० पोटजातियां है | भारत के घुमंतू नारियों की अलग - अलग पोटजात के कारण उनके विविध रूपं एंव विशेषताएँ है |

भारत के प्राचीन इतिहास में घुमंतू जातियों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान था | द्रविड सभ्यता में नर और नारी को समान स्थान समाज में था यह उल्लेख पाणिनी के 'अष्टध्याय' ग्रन्थ से मिलता है | अश्वघोष लिखित 'बुध्दचरित्र' में घुमंतू जमातियाँ व्यापार और वाणिज्य व्यवसाय करने का उल्लेख मिलता है | इस जनजाति के समूह को सार्थवाह संज्ञा का उल्लेख कौटल्य का ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र' में मिलता है | इससे कहा जा सकता है कि, प्राचीन काल में घुमंतू नारी स्वयंपूर्ण थी | लेकिन मौर्य काल के बाद भारत की समाज व्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव के कारण जातिव्यवस्था में ताठरता आई, और गुप्त काल में जातिव्यवस्था में कठोरता बढ़ जाने के कारण समाज में अलग-अलग संप्रदाय की उत्पत्ति हुई इसमें इस जनजातियों का उदभव हुआ | घुमंतू नारी जीवन के बारे में प्राचीन काल से ऐतिहासिक उल्लेख मिलते है, अशोक के शिलालेख में घुमंतू नारियों का उल्लेख बौध्द भिक्षुणी के रूप में मिलता है |

मध्ययुगीन काल में परकीय आक्रमण के कारण भारतीय रज्यकर्ताओं से घुमंतू जमातिओं का राजाश्रय नष्ट हुआ | इसके कारण उन्होंने जंगल में आश्रय लेकर अपना वस्तीस्थान वहाँ निर्माण किया | मुगल काल में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुए छापामार युद्ध एवं हल्दीघाटी के युद्ध के समय घुमंतू नारियों ने सैन्य अभियान में साथ दिया था | राणा प्रताप सिंह एवं मारवाड की राजकन्या फूलकुंवर के विवाह में अकबर के विरुद्ध घुमंतू नारियों ने राणा को सहकार्य करने का उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड के ऐतिहासिक ग्रन्थ 'एन्टी क्वीन ऑफ राज्यस्थान' में मिलता है | गोंडवाना की राणी दुर्गावती और अकबर के बीच युद्ध में घुमंतू नारियों ने सैन्य अभियान में दुर्गावती को सहायता करने का उल्लेख अबुल फजल के अक्षरी में मिलता है | छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में घुमंतू नारियों ने दुर्ग निर्माण में पाथरवट का कार्य करने के उल्लेख कवि परमानंद की रचना 'पूर्णालपर्वतग्रहख्यान' में मिलता है | इससे ज्ञात होता है की घुमंतू नारियों का जीवन मध्यकाल में स्वयंपूर्ण था | उनकी विषेशताएँ, शौर्य, पराक्रम, सैन्य अभियान के समय नर के साथ सहयोग देने के उल्लेख प्राप्त होते है |

१८ वी सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया, इसके कारण क्षेत्रीय राज्यकर्ते ब्रिटिश साम्राज्य के अंकित हुए, इसके कारण घुमंतू जनजाति का राजाश्रय नष्ट हुआ | इ.स.१८६३ में फारेस्ट एक्ट के अनुसार जंगल की औषधी वनस्पती, लाख आदि पर ब्रिटिश सरकार ने निर्बंध लगाएं उसके कारण घुमंतू नारी जीवन के उदरनिर्वाह के साधन एवं उपजीविका के साधन पर इस एक्ट ने बंदी ला दी | इसके कारण घुमंतू जमाती के नर एवं नारियों ने उपजीविका एवं उदरनिर्वाह के लिए लूटपाट, डकैती, बंड, उठाव के मार्ग का अवलंब किया | इ.स. १८१९ से १८३१ में रामोशी उठाव में उमाजी नाईक के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सहभाग, इ.स. १८५७ के उठाव में तात्या टोपे, हजरत बेगम महल, रानी लक्ष्मीबाई इसके नेतृत्व और रानी गौडन्य के नेतृत्व में जंगल सरकार स्थापन करके घुमंतू नारियों ने विद्रोह किया था | आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन जनजाति की नारियों ने आंदोलन में भाग लेने का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में मिलते हैं | ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने के कारण इ.स. १८७१ में ब्रिटिश सरकार ने गुन्हेगारी कायदा पास करके घुमंतू जमाती का नामकरण गुन्हेगार जमातियाँ किया | ब्रिटिश काल में घुमंतू नारी अन्याय-अत्याचार, लैंगिक शोषण, कठोर शासन की शिकार हुई | उनके तरफ ब्रिटिश सरकार गुन्हेगार की दृष्टी से देखते थे| इ.स. १५ अगस्त १९४७ को आजादी मिलने पर भारत सरकार ने इ.स. १९५२ में गुन्हेगारी कायदा रद किया और गुन्हेगार जमाती का नामकरण विमुक्त जनजाति किया |

आजादी के बाद भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं का अवलंब किया है | इसके माध्यम से घुमंतू नारी जीवन में बदलाव के संकेत मिले | डॉ के.बी.अत्रोळीकर समिति की नियुक्ती भारत सरकार ने इ.स.१९४९ में की | इस समिति ने घुमंतू नारियों का गुन्हेगारी से पुनर्वसन एवं शिक्षा, निवास, रोजगार आदि की शिफारस की थी | इसमें से इ.स.१९५३ मे गुन्हेगारी कायदा रद्द किया | लेकिन इसका समायोजन अयोग्य पध्दति से किया गया | इ.स. १९६० में महाराष्ट्र की स्थापना हुई | महाराष्ट्र शासन ने एल.बी.थाडे समिति का अध्ययन करके खानदेश एवं पश्चिम महाराष्ट्र में घुमंतू नारियों का पुनर्वसन किया था | इ.स.१९७१ में भारत सरकार ने पी.के.मिश्रा और सी.आर.राज्यलक्ष्मी के नेतृत्व में समिति का गठन किया और घुमंतू नारी जीवन की समस्या के हल का अनुसंधान करने को कहा, लेकिन इस समिति ने घुमंतू नारियों का जीवन पुराणकथा, मिथके, विकार, सहज पर्यावणीय है यह अहवाल भारत सरकार को पेश किया | लेकिन जिससे कुछ हल नहीं निकल सका | घुमंतू नारी जीवन की समस्याओं का हल निकालने के लिए सामाजिक कार्यकर्ते एवं भारत सरकार ने इ.स.१९९७ और इ.स.२००८ में रेणके एवं इदाते आयोग का गठन किया था | इनकी शिफारस जागतिक आरोग्य संघटना के मानांकन नुसार है, रोजगार, निवास, भोजन, शिक्षा, भिजली, रस्ते, आरोग्य आदि | यह अहवाल भारत सरकार को पेश किया है | इसके अनुसार प्रांतों ने इसका अवलंब किया है | इसमें महाराष्ट्र, झारखंड, राज्यस्थान, कर्नाटक, गुजरात आदि का समावेश है| लेकिन आज वर्तमान काल में भी सब नारियों को सन्मान आजादी के बाद भी नहीं मिला है |

२१ वी सदी में जागतिकीकरण, औद्योगीकरण, नागरीकरण, खाजगीकरण, विज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान का प्रभाव घुमंतू नारी के जीवन पर देखने को मिलाता है | कलकता में २०२० में रेल्वे स्टेशन पर भिक्षा मांगनेवाली रानू मंडल अपने सुरेख गायन और माहिती तंत्रज्ञान के प्रभाव से स्टार बन गई | आज वर्तमान काल में घुमंतू नारियाँ नागरी औद्योगिक वसाहती में कामगार के रूप में काम करती है, कुछ नारियाँ संचार करके प्लास्टिक बोतल, लोखंड, भंगार का संचयन करके कारखानदार को बेचकर उदरनिर्वाह करती है | इस प्रकार के उदरनिर्वाह में नारियों का लैंगिक शोषण, आरोग्य की समस्याएँ बढती जा रही है| इतना ही नहीं घुमंतू नर प्रधान समाज में नारियों में व्यसनाधीनता बढ़ना आज भी एक समस्या है |

संदर्भ सूची -

१, नाईक शोभा, भारत के संदर्भ में नारीवाद, मुंबई, २००७.

२. दाते हि.रा, विमुक्त जाती/घुमंतू जमाती अध्ययन और अनुसंधान समिती अहवाल, खंड १,

महाराष्ट्र शासन समाज कल्याण विभाग, १९९६.

३. जाधव निर्मला, समान न्याय और लिंगभेद अध्ययन,सावित्रीबाई फुले विश्वविदयालय पूना,२००९

४. कदम धोंडिबा, महाराष्ट्र के घुमंतू समाज संस्कृति एवं साहित्य, प्रतिभा प्रकाशन, पूना, २०१३

५. रामनाथ चव्हाण, घुमंतू नारी के अंतरंग, मनोविकास प्रकाशन, मुंबई, २००३